NATION TAX MARKET

GST

GST- KEYS

(Know Everything about Your Supplier)

अपने सप्लायर के बारे में जानिए

वाणिज्यिक कर विभाग

मध्यप्रदेश शासन

Map not as per scale graphic representation only

डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश

:: संदेश ::

व्यवसायी न केवल कर संरचना, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ हैं और प्रदेश की योजनाओं के क्रियान्वयन में कर राजस्व की महती भूमिका रहती है। व्यवसायियों द्वारा जमा किए जाने वाले करों के माध्यम से विकास, जन-कल्याण और सुशासन के संकल्प साकार रूप ले पाते हैं। राज्य सरकार सरल और स्वच्छ कर प्रशासन के लिए कटिबद्ध है। व्यापारियों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा अनेक सकारात्मक उपाय निरंतर किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से सरलता और सुगमतापूर्वक व्यवसाय संचालन संभव हुआ है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि प्रदेश के व्यवसायियों की सुविधा और सुगमता हेतु "KEYS **(Know Everthing About Your Supplier"** पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस पुस्तिका में वर्णित विधियों, नियम एवं निर्देशों का अध्ययन कर न केवल व्यवसायिक संव्यवहारों में संभावित धोखाधड़ी से बच सकते हैं, बल्कि अपने व्यवसाय को अधिक सुरक्षित एवं सुगम बना सकते हैं।

शुभकामनाओं सहित।

(डॉ. मोहन यादव)

6, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462 002

वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश शासन

प्रिय व्यवसायी साथियों

सादर नमस्ते!

वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से मैं आप सभी व्यवसाईयों को आश्वस्त करता हूँ कि सरल और स्वच्छ कर प्रशासन के लिए विभाग कटिबद्ध है। आपकी सुविधा के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अनेक उपाय किये गये है जिनका उपयोग कर आप अपने व्यवसाय को सुगमता से संचालित कर सकते है ।

इसी क्रम में KEYS - Know Everthing About Your Supplier पुस्तिका तैयार की गई है। इस पुस्तिका के माध्यम से आप अपने सप्लायर/ रिसिपीएण्ट के बारे में मूलभूत जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।जैसे व्यवसाय का वैधानिक नाम, पता, पंजीयन की प्रभावी तिथि, व्यवसाय की संरचना, आधार प्रमाणन की स्थिति, व्यवसाय के नेचर की जानकारी, रिटर्न जमा है या नही, वार्षिक टर्नओवर, सकल कुल आय, ई-वे बिल हिस्ट्री, नक़द में कर भुगतान का प्रतिशत आदि।

इन जानकारियों से आप अपने व्यवसाय को अधिक सुरक्षित और सुगम बना सकते है।

माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 41 में दिनांक 1 अक्तूबर 2022 से लागू संशोधन अनुसार गलत तरीक़े से ली गई ITC रिसिपीएण्ट से ब्याज सहित रिवर्सल किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस पुस्तिका में दी गई विधि से सप्लायर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर आप ITC रिवर्सल करने जैसी अप्रिय स्थिति से बच सकते है ।आशा है यह पुस्तिका आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी।

आपके व्यवसाय की उन्नति की कामनाओं सहित....

(जगदीश देवड़ा)

उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर, वित्त,

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन

GST- KEYS

(Know Everything about Your Supplier)

अपने सप्लायर के बारे में जानिए

व्यवसायिक संव्यवहार में GSTIN अर्थात जीएसटी के पंजीयन नम्बर की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जब भी आप माल का क्रय करते हैं या सेवाएं प्राप्त करते हैं तो यह चिंता भी होती है कि क्या आप इस क्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे? इस स्थिति में ऐसे सप्लायर जिससे माल या सेवायें प्राप्त की जा रही हैं, उनकी व्यवसायिक पृष्ठभूमि और रिस्क प्रोफाइल की जानकारी होने से आपसी संव्यवहारों में विश्वसनीयता बढ़ेगी। करदाताओं को वित्तीय संव्यवहारों के संबंध में डाटा आधारित निर्णय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जीएसटी पोर्टल में ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप अपने सप्लायर के GSTIN के द्वारा उसके व्यवसायिक पृष्ठभूमि और ट्रेक रिकार्ड की बहुत सारी जानकारी कुछ आसान चरणों में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सप्लाय प्राप्त करने के पूर्व सप्लायर की जानकारी का सत्यापन कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपका व्यवसायिक संव्यवहार सावधानीपूर्वक होगा बल्कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी सुरक्षित रहेगा।

जब आप सप्लायर से माल या सेवायें प्राप्त करते हैं तो जीएसटी में पंजीयत सप्लायर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अग्रेषित करता है। जिसका दावा कर आप अपने कर दायित्व की पूर्ति करते हैं। किन्तु यदि आपके सप्लायर द्वारा जीएसटी अधिनियम के अनिवार्य उपबंधों का पालन नहीं किया जाता है तो आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे अमान्य किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने सप्लायर के बारे में कुछ अनिवार्य और मूलभूत जानकारियां होना आवश्यक है ताकि आप सप्लायर के सम्बन्ध में सही समय पर सचेत हो जाएँ।

इसी तरह यदि आप किसी को माल या सेवाओं की सप्लाई देते हैं तो आप रिसीपिएंट व्यवसाई के बारे में भी आवश्यक जानकारी जुटा सकते हैं। प्राप्त जानकारी के आधार पर आप रिसीपिएंट व्यवसाई के वास्तविक होने की पुष्टि कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप सुरक्षित व्यवसाय कर सकते हैं।

इसी उद्देश्य से **KEYS** (Know Everything about Your Supplier) पुस्तिका तैयार की गई है। ताकि आप को अपने सप्लायर के बारे में वे सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके जो आपके व्यवसायिक संव्यवहार के लिए आवश्यक हैं। इस पुस्तिका में जीएसटी में पंजीयत व्यक्ति और अपंजीयत व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार किसी सप्लायर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, उसकी बिन्दुवार सरलीकृत प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है।

GSTIN को सत्यापित करने की प्रक्रिया

व्यवसाय/कंपनी/फर्म के नाम से GST नंबर की जाँच अथवा आपको दिए गए बिल, चालान पर दर्ज GSTIN को सत्यापित करने के लिए GST कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध 'Search Taxpayer' विकल्प के जरिये किया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ आसान चरणों का पालन करना होगा।

अपंजीकृत व्यक्ति के लिए

यदि आप जीएसटी में पंजीकृत नहीं हैं अथवा पंजीकृत हैं किन्तु बिना लॉग-इन किये किसी सप्लायर के GSTIN की जानकारी चाहते हैं। तो इसके लिए आप GST कॉमन पोर्टल की वेबसाइट https://www.gst.gov.in/ पर जाएं एवं 'Search Taxpayer' विकल्प पर क्लिक करें। यहां आपको चार विकल्प (टैब) मिलते हैं जिसके माध्यम से टैक्सपेयर को सर्च किया जा सकता है-

1. **Search by GSTIN/UIN**

   GSTIN नंबर दर्ज करें, इसके पश्चात् 6 अंकों का कैप्चा प्रदर्शित होगा। उसे दर्ज कर Search बटन दबाएँ।

2. **Search by PAN**

   PAN नंबर दर्ज करें, इसके पश्चात् 6 अंकों का कैप्चा प्रदर्शित होगा। उसे दर्ज कर Search बटन दबाएँ।

3. **Temporary ID**

   इसमें Temporary ID दर्ज करें अथवा राज्य चुनकर, सम्बंधित मोबाइल नम्बर दर्ज कर Search बटन दबाएँ।

4. **Composition Taxpayer**

   सप्लायर का कम्पोजीशन Opt in/Opt out चुनें। GSTIN का विकल्प चुनकर GSTIN नंबर दर्ज करते ही 6 अंकों का कैप्चा प्रदर्शित होगा। उसे दर्ज कर Search बटन दबाएँ अथवा State विकल्प चुनकर Financial Year, Legal Name और 6 अंकों का कैप्चा दर्ज कर Search बटन दबाएँ।

उपरोक्त किसी भी विकल्प द्वारा सर्च किये जाने पर निम्नलिखित जानकारी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी :-

- **Legal Name of Business (व्यवसाय का वैधानिक नाम)**
- **Trade Name (व्यापारिक नाम)**
- **Effective Date of registration (पंजीयन की प्रभावी तिथि)** – इससे आप जान सकते हैं कि सप्लायर का पंजीयन कब से प्रभावी है। आपको जारी टैक्स इनवाइस पंजीयन प्रभावी दिनांक के बाद का होने पर ही आप उस इनवाइस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।
- **Constitution of Business (व्यवसाय की संरचना)** - यह आपके सप्लायर के व्यवसाय की संरचना यथा प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी आदि की जानकारी उपलब्ध कराता है।
- **GSTIN की स्थिति** - इस टैब से आपको ज्ञात हो जाता है कि सप्लायर का पंजीयन जीवित-सक्रिय / निलंबित /निरस्त है। यदि सप्लायर का पंजीयन निरस्त है तो आप ऐसे सप्लायर की सप्लाई पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है।
- **Taxpayer Type (करदाता का प्रकार)** - इस टैब में दिए गए आई बटन से आप जान सकते हैं कि आपका सप्लायर जीएसटी संगृहीत कर सकता है कि नहीं ? और टैक्स इनवाइस जारी कर सकता है कि नहीं? साथ ही यह भी मालूम हो जायेगा कि इस सप्लायर की सप्लाई पर पंजीयत क्रेता इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं या नहीं ?
- **Administrative Office (मुख्य प्रशासनिक कार्यालय)** - इस टैब द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं कि आपका सप्लायर राज्य या केंद्र में से किसके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है और यह किस राज्य के किस जोन के संभाग और कार्यालय से सम्बंधित है।
- **Other Office (अन्य कार्यालय)** – यह टैब सप्लायर के अन्य कार्यालय-क्षेत्र (राज्य या केंद्र)की जानकारी उपलब्ध कराता है।
- **Principal Place of Business (मुख्य व्यवसाय स्थल का पता)** - इस टैब द्वारा आपको सप्लायर के मुख्य व्यवसाय स्थल का पूरा पता प्राप्त हो जाता है।
- **Whether Aadhaar Authenticated? (क्या आधार अधिप्रमाणित है?)** – आपको सप्लायर के आधार से अधिप्रमाणिकता की स्थिति ज्ञात हो जाती है।
- **Whether e-KYC Verified? (क्या ई-केवाईसी सत्यापित है?)** - इस टैब द्वारा ई-केवाईसी सत्यापन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

- **Additional Trade Name (अतिरिक्त व्यापारिक नाम) -** यदि सप्लायर का कोई अन्य व्यापारिक नाम हो तो वह यहाँ दर्ज होता है।
- **Nature Of Core Business Activity (प्रमुख व्यवसायिक गतिविधियों की प्रकृति) –** आपके सप्लायर की प्रमुख व्यवसायिक गतिविधियों की प्रकृति क्या है ? यह आप इस टैब से जान सकते हैं।
- **Nature of Business Activities (व्यवसायिक गतिविधियों की प्रकृति) -** प्रमुख व्यवसायिक गतिविधि के अतिरिक्त आपके सप्लायर द्वारा और कौन-कौन सी अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ की जाती हैं। उसकी जानकारी यहाँ दर्ज होती है।
- **Dealing In Goods and Services (वस्तुओं और सेवाओं में संव्यवहार) -** इस टैब में यह जानकारी दी गई है कि आपके सप्लायर किन-किन वस्तुओं और सेवाओं में संव्यवहार करते हैं। यहाँ वस्तुओं और सेवाओं की सूची HSN/SAC कोड सहित होती है। इससे आप जान सकते हैं कि आपका सप्लायर जिन वस्तुओं या सेवाओं के लिए टैक्स इनवाइस जारी कर रहा है वे वस्तुएं और सेवायें उनके पंजीयन में दर्ज है भी या नहीं?
- **Show Filing Table (विभिन्न प्रकार की विवरणियाँ दाखिल करने की स्थिति) -** इस टैब में विभिन्न प्रकार की विवरणियाँ जैसे GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-9 और GSTR-9C दाखिल करने की स्थिति ज्ञात होती हैं। इससे आप पता कर सकते है कि आपके सप्लायर द्वारा नियत समय से विवरणियाँ दाखिल की जाती है या नहीं ? और कितनी विवरणियाँ दाखिल हैं ? चूँकि आपको प्राप्त होने वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट इसी पर निर्भर करती है।
- **Show Filing Table Frequency (रिटर्न दाखिल करने की आवृत्ति) –** इस टैब से आपको सप्लायर के विषय में यह मालूम हो जाता है कि लगातार दो वर्षों से आपके सप्लायर द्वारा मासिक आधार पर विवरणियाँ दाखिल की जाती है या त्रैमासिक आधार पर।

पंजीकृत व्यक्ति के लिए

जीएसटीएन कॉमन पोर्टल वेबसाइट https://www.gst.gov.in/ पर जाएँ और अपने क्रेडेंशियल अर्थात यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग-इन करें। तत्पश्चात डैशबोर्ड पर 'Search Taxpayer' विकल्प पर क्लिक करें। यहां आपको चार विकल्प (टैब) मिलते हैं जिसके जरिए टैक्सपेयर को सर्च किया जा सकता है-

1. **Search by GSTIN/UIN**

   GSTIN नंबर दर्ज करें, इसके पश्चात् Search बटन दबाएँ।

2. **Search by PAN**

   PAN नंबर दर्ज करें, इसके पश्चात् Search बटन दबाएँ।

3. **Temporary ID**

   इसमें Temporary ID दर्ज करें अथवा राज्य चुनकर सम्बंधित मोबाइल नम्बर दर्ज कर Search बटन दबाएँ।

4. **Composition Taxpayer**

   सप्लायर का कम्पोजीशन Opt in/Opt out चुनें। GSTIN का विकल्प चुनकर GSTIN नंबर दर्ज कर Search बटन दबाएँ अथवा State विकल्प चुनकर Financial Year, Legal Name दर्ज कर Search बटन दबाएँ।

   उपरोक्त किसी भी विकल्प द्वारा सर्च किये जाने पर वे समस्त जानकारियां पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी जो अपंजीकृत व्यक्ति के लिए 'Search Taxpayer' के माध्यम से उपलब्ध होती हैं और जो पिछले पृष्ठों पर निम्न बिन्दुओं में दी गई हैं किन्तु जीएसटीएन कॉमन पोर्टल वेबसाइट पर अपने क्रेडेंशियल यानी यूजर आई डी और पासवर्ड से लॉग इन करने पर 'Search Taxpayer' विकल्प के माध्यम से सप्लायर के विषय में कुछ अतिरिक्त और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिल जाती हैं। वे समस्त जानकारियां निम्नानुसार हैं-

- **Legal Name of Business (व्यवसाय का वैधानिक नाम)**
- **Trade Name (व्यापारिक नाम)**

- **Effective Date of registration (पंजीयन की प्रभावी तिथि)** – इससे आप जान सकते हैं कि सप्लायर का पंजीयन कब से प्रभावी है। आपको जारी टैक्स इनवाइस पंजीयन प्रभावी दिनांक के बाद का होने पर ही आप उस इनवाइस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।
- **Constitution of Business (व्यवसाय की संरचना)** - यह आपके सप्लायर के व्यवसाय की संरचना यथा प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी आदि की जानकारी उपलब्ध कराता है।
- **GSTIN की स्थिति** - इस टैब से आपको ज्ञात हो जाता है कि सप्लायर का पंजीयन जीवित-सक्रिय / निलंबित /निरस्त है। यदि सप्लायर का पंजीयन निरस्त है तो आप ऐसे सप्लायर की सप्लाई पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है।
- **Taxpayer Type (करदाता का प्रकार)** - इस टैब में दिए गए आई बटन से आप जान सकते हैं कि आपका सप्लायर जीएसटी संगृहीत कर सकता है कि नहीं ? तथा टैक्स इनवाइस जारी कर सकता है कि नहीं ? साथ ही यह भी मालूम हो जायेगा कि इस सप्लायर की सप्लाई पर पंजीयत क्रेता इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं या नहीं ?
- **Administrative Office (मुख्य प्रशासनिक कार्यालय)** - इस टैब से आप ज्ञात कर सकते हैं कि आपका सप्लायर राज्य या केंद्र में से किसके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है और यह किस राज्य के किस जोन के संभाग और कार्यालय से सम्बंधित है ?
- **Other Office (अन्य कार्यालय)** – यह टैब सप्लायर के अन्य कार्यालय-क्षेत्र (राज्य या केंद्र)की जानकारी उपलब्ध कराता है।
- **Principal Place of Business (मुख्य व्यवसाय स्थल का पता)** - यहाँ से आपको सप्लायर के मुख्य व्यवसाय स्थल का पूरा पता मिल जाता है।
- **Whether Aadhaar Authenticated? (क्या आधार अधिप्रमाणित है?)** – आपको सप्लायर के आधार से अधिप्रमाणिकता की स्थिति ज्ञात हो जाती है।
- **Whether e-KYC Verified? (क्या ई-केवाईसी सत्यापित है?)** इस टैब द्वारा ई-केवाईसी सत्यापन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- **Additional Trade Name (अतिरिक्त व्यापारिक नाम)** - यदि सप्लायर का कोई अन्य व्यापारिक नाम हो तो वह यहाँ दर्ज होता है।

- **Nature Of Core Business Activity (प्रमुख व्यवसायिक गतिविधियों की प्रकृति)** – आपके सप्लायर की प्रमुख व्यवसायिक गतिविधियों की प्रकृति क्या है ? यह आप इस टैब से जान सकते हैं।
- **Nature of Business Activities (व्यवसायिक गतिविधियों की प्रकृति) -** प्रमुख व्यवसायिक गतिविधि के अतिरिक्त आपके सप्लायर द्वारा और कौन-कौन सी अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ की जाती हैं। उसकी जानकारी यहाँ दर्ज होती है।
- **Dealing In Goods and Services (वस्तुओं और सेवाओं में संव्यवहार) -** इस टैब में यह जानकारी दी गई है कि आपके सप्लायर किन-किन वस्तुओं और सेवाओं में संव्यवहार करते हैं। यहाँ वस्तुओं और सेवाओं की सूची HSN/SAC कोड सहित होती है। इससे आप जान सकते हैं कि आपका सप्लायर जिन वस्तुओं या सेवाओं के लिए टैक्स इनवाइस जारी कर रहा है वे वस्तुएं और सेवायें उनके पंजीयन में दर्ज है भी या नहीं ?
- **Show Filing Table (विभिन्न प्रकार की विवरणियाँ दाखिल करने की स्थिति) -** इस टैब में विभिन्न प्रकार की विवरणियाँ जैसे GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-9 और GSTR-9C दाखिल करने की स्थिति ज्ञात होती हैं। इससे आप पता कर सकते है कि आपके सप्लायर द्वारा नियत समय से विवरणियाँ दाखिल की जाती है या नहीं? और कितनी विवरणियाँ दाखिल है ? चूँकि आपको प्राप्त होने वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट इसी पर निर्भर करती है।
- **Show Filing Table Frequency (रिटर्न दाखिल करने की आवृत्ति)** – इस टैब से आपको सप्लायर के विषय में यह मालूम हो जाता है कि लगातार दो वर्षों से आपके सप्लायर द्वारा मासिक आधार पर विवरणियाँ दाखिल की जाती हैं या त्रैमासिक आधार पर।
- जीएसटीएन कॉमन पोर्टल वेबसाइट पर अपने क्रेडेंशियल यानी यूज़र आई डी और पासवर्ड से लॉग इन करने पर 'Search Taxpayer' विकल्प के माध्यम से सप्लायर के विषय में कुछ अतिरिक्त और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिल जाती हैं। वे हैं-
- **Annual Aggregate Turnover (वार्षिक सकल आवर्त) -** इस टैब में सप्लायर के वार्षिक सकल आवर्त का स्लेब दर्ज होता है जिससे आप सप्लायर के व्यवसाय के आकार का अनुमान लगा सकते हैं।
- **Gross Total Income (सकल कुल आय) (PAN आधारित CBIC)** इस टैब के माध्यम से आपको सम्बंधित व्यवसायी की सकल कुल आय की जानकारी प्राप्त हो जाती है।

- **% of Tax Payment in Cash (नकद में कर भुगतान का प्रतिशत)** – इस टैब में जानकारी होती है कि सप्लायर द्वारा अपनी कुल सप्लाई पर कितने प्रतिशत नगद कर जमा किया जाता है। इसके साथ ही आपको सप्लायर के पिछले और चालू वर्ष में कर देयता के भुगतान प्रतिशत की जानकारी भी मिल जाती है।
- **Name of Proprietor/Directors/Promoters** इस टैब में मालिक/निदेशक/प्रमोटर के नाम दर्ज हैं।
- **E-Way Bill History (ई-वे बिल इतिहास)** - इस टैब में सप्लायर के ई-वे बिल Block या Unblock हैं, इसकी जानकारी मिल जाती है।
- **Place of Business (व्यवसाय का पता)** – इस टैब में सप्लायर के व्यवसाय स्थल का पूरा पता तो होता ही है, साथ ही इसमें सप्लायर के ई मेल और मोबाइल नंबर की जानकारी भी मिल जाती है।

उपरोक्त प्रक्रिया से GST के कॉमन पोर्टल पर सर्च करने पर आप व्यवसाय का पता, लीगल नाम, पंजीयन की तिथि आदि की जाँच कर सकते हैं। यदि आप व्यवसाय/फर्म द्वारा दी गयी जानकारी एवं कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी में किसी प्रकार की विसंगति पाते हैं, तो इसका कारण या तो लिपिकीय त्रुटी है अथवा व्यवसायिक फर्म द्वारा किसी प्रकार का धोखा दिए जाने की आशंका हो सकती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको जीएसटी नम्बर को सत्यापित किए बिना किसी भी बिल का भुगतान नहीं करना चाहिए। और जीएसटी नंबर को सत्यापित करने की आदत बना लेनी चाहिए। क्योंकि इसमें केवल कुछ सेकंड लगते हैं। यदि आपको कोई दुकानदार या व्यवसायी ग्राहकों को ठगता हुआ मिलता है, तो सरकार ने शिकायतों को आसानी से दर्ज करने के उपाय भी किए हैं।

जब भी कोई विक्रेता आपको बिल/चालान देता है, लेकिन अपना GSTIN प्रदान नहीं करता है, तो कंपनी के नाम से GST नंबर खोजें और सत्यापित करें कि क्या वह GST के तहत पंजीकृत हैं अथवा नहीं ?

आशा है कि यह पुस्तिका आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आपके सुझावों का सदैव स्वागत है।

(धनराजू एस.)
आयुक्त
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

वेब लिंक्स हेल्पडेस्क

A. महत्वपूर्ण वेब लिंक्स

जीएसटीएन वेब पोर्टल
https://www.gst.gov.in/

ई–वे बिल (जीएसटीएन)
https://ewaybillgst.gov.in/login.aspx

ई–वे बिल – डॉक्यूमेंट (जीएसटीएन)
https://docs.ewaybillgst.gov.in/

वाणिज्यिक कर वेब पोर्टल
https://mptax.mp.gov.in/

B. वेब ब्राउज़र वर्ज़न

Desktop Browser
Microsoft Edge/ Chrome 49+ or Firefox 45+

Digital Signature
Certificate (DSC)Valid class 2 or class 3

Certificate (DSC)
Digital Signature obtained from a DSC provider

शिकायत **फीडबैक**

C. हेल्पडेस्क / शिकायत हेतु फोन नंबर

जीएसटीएन हेल्पडेस्क नंबर (नई दिल्ली)
1800-103-4786

वाणिज्यिक कर हेल्पडेस्क टोल फ्री नंबर (इंदौर)
1800-102-0455

D. महत्वपूर्ण ई मेल एड्रेस

वाणिज्यिक कर मुख्यालय, इंदौर (हेल्पडेस्क)
पोर्टल /तकनीकी समस्या/ Grievance हेतु
helpdesk.mpct@mptax.mp.gov.in

जीएसटीएन- नई दिल्ली (हेल्पडेस्क)
पोर्टल /तकनीकी समस्या हेतु
helpdesk@gst.gov.in / selfservice.gstsystem.in

वाणिज्यिक कर विभाग
मध्यप्रदेश शासन